प्रेस नोट दि0-06.09.2025 जनपद- प्रतापगढ़

थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़

थाना फतनपुर पुलिस व स्पेशल टीम की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में लूट के अभियोग से संबंधित अन्तर्जनपदीय अभियुक्त रवि पासी उर्फ रवि भारतीय घायल/गिरफ्तार-

थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत नारायनपुर नहर पुलिया के पास थाना फतनपुर पुलिस व स्पेशल टीम की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 01 अभियुक्त के दाएं पैर में गोली लगी।

घायल अन्तर्जनपदीय अभियुक्त रवि पासी उर्फ रवि भारतीय उपरोक्त को को ईलाज हेतु सीएचसी गौरा ले जाया गया है, जहां से डॉक्टरों द्वारा जिला अस्पताल प्रतापगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 एक अदद तमंचा .315 बोर, 02 दो अदद जिंदा कारतूस .315 बोर, 02 दो अदद खोखा कारतूस .315 बोर, घटना में प्रयुक्त 01 एक अदद पल्सर मो0 साइकिल, 01 अदद एन्ड्रायड फोन व लूट के 6,800/- रुपया बरामद किया गया-

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त रवि पासी उर्फ रवि भारतीय उपरोक्त में लूट, चोरी, अपहरण, मारपीट के गंभीर अपराध, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जैसे कुल करीब डेढ़ दर्जन संगीन अभियोग पंजीकृत है।

प्रतापगढ़

वादी निवासी ग्राम जयरामपुर, पोस्ट दुर्गागंज, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना फतनपुर पर तहरीर दी गई थी कि थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 02.09.2025 को रात्रि 02 मोटरसाइकिलों से आए 04 अज्ञात व्यक्तियों ने वादी के इण्डियन ऑयल पेट्रोल पंप के कार्यालय में घुसकर वहाँ भोजन बना रहे कर्मचारियों से मारपीट करते हुए कर्मचारी त्रिभुवन के पास से 25,000/- रुपये की नगदी छीन ली तथा बाहर तेल भरवा रहे ग्राहकों से भी मारपीट कर भाग गए। इस संबंध में थाना फतनपुर पर मु0अ0सं0 192/2025, धारा 309(4) भा0न्या0सं0 बनाम दो मोटरसाइकिलों से आए 04 अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया है।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा घटना स्थल से साक्ष्य संकलन, तकनीकी जानकारी व सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अभियुक्तों की शिनाख्त एवं गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 05.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्वेक्षण में ना फतनपुर थानाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी मय हमराह व स्पेशल टीम की संयुक्त टीम द्वारा थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत नारायनपुर नहर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में लूट के अभियोग से अनर्जनपदीय 01 अभियुक्त रवि पासी उर्फ रवि भारतीय पुत्र कल्लू पासी उर्फ हरिओम पासी उम्र करीब 23 वर्ष नि0ग्राम नीवाँ कछार, उमरपुर थाना

धूमनगंज जनपद प्रयागराज के दाहिने पैर में लगी गोली। घायल अभियुक्त को ईलाज हेतु सीएचसी गौरा ले जाया गया है, जहां से डॉक्टरों द्वारा जिला अस्पताल प्रतापगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त कब्जे से अभियुक्त के कब्जे से 01 एक अदद तमंचा .315 बोर, 02 दो अदद जिंदा कारतूस .315 बोर, 02 दो अदद खोखा कारतूस .315 बोर, घटना में प्रयुक्त 01 एक अदद पल्सर मो0 साइकिल, 02 दो अदद एन्ड्रायड फोन, जिसमें 01 लूट का अदद मोबाइल व 6,800/- रुपया बरामद किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना फतनपुर में मु0अ0सं0 195/25 धारा धारा 109(1)/3(5) B.N.S. व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घायल/ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
रवि पासी उर्फ रवि भारतीय पुत्र कल्लू पासी उर्फ हरिओम पासी उम्र करीब 23 वर्ष नि0ग्राम नीवाँ कछार, उमरपुर थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज।

घायल/ गिरफ्तार अन्तर्जनपदीय अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
रवि पासी उर्फ रवि भारतीय पुत्र कल्लू पासी उर्फ हरिओम पासी उम्र करीब 23 वर्ष नि0ग्राम नीवाँ कछार, उमरपुर थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज।

01. मु0अ0सं0 20/2022 – धारा 397/411 भा0द0वि0 थाना अतरसुइया नगर कमिश्नरेट प्रयागराज।
02. मु0अ0सं0 21/2022 – धारा- 307/411/419/420/467/468/471 भादवि0 थाना अतरसुइया नगर कमिश्नरेट प्रयागराज।
03. मु0अ0सं0 81/2022 – धारा 2/3 UP गैंगेस्टर एक्ट थाना अतरसुइया नगर कमिश्नरेट प्रयागराज।
04. मु0अ0सं0 1097/2021– धारा 392/411/413 भा0द0वि0 थाना धुमनगंज नगर कमिश्नरेट प्रयागराज।
05. मु0अ0सं0 1127/2021 – धारा 392/411/413 भा0द0वि0 थाना धुमनगंज नगर कमिश्नरेट प्रयागराज।
06. मु0अ0सं0 1130/2021– धारा 411/413 भादवि0 थाना धुमनगंज नगर कमिश्नरेट प्रयागराज।
07. मु0अ0सं0 06/2022 – धारा 286/427 भा0द0वि0 थाना धुमनगंज नगर कमिश्नरेट प्रयागराज।
08. मु0अ0सं0 13/2022 – धारा 41/411 भादवि0 थाना धुमनगंज नगर कमिश्नरेट प्रयागराज।
09. मु0अ0सं0 51/2022 – धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना धुमनगंज नगर कमिश्नरेट प्रयागराज।
10. मु0अ0सं0 303/2023 – धारा 411/413 भादवि0 थाना धुमनगंज नगर कमिश्नरेट प्रयागराज।
11. मु0अ0सं0 178/2020– धारा 182/188/211/269/270 भादवि थाना नवाबगंज गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज।
12. मु0अ0सं0 07/2022 – धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना पूरामुफ्ती नगर कमिश्नरेट प्रयागराज।
13. मु0अ0सं0 197/2023 – धारा 147/148/149/307/34/504 भादवि0, 3/25 A Act व 3(2)V SC/ST Act थाना बहरिया गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज।
14. मु0अ0सं0 217/2020 – धारा 41/411/467/468/471 भा0द0वि0 थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।
15. मु0अ0सं0 218/2020 – धारा 3/25 A Act भा0द0वि0 थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।
16. मु0अ0सं0 466/2020– धारा 379/411 भादवि0 थाना ऊंचाहार जनपद रायबरेली।
17. मु0अ0सं0 222/2019- धारा 363/366 भादवि0 व 7/8 पाक्सो अधि0 थाना औराई जनपद भदोही।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
थानाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी मय उ0नि0 प्रभांशु कुमार राय, उ0नि0 प्रदीप कुमार, उ0नि0 राहुल कुमार , उ0नि0 विकास निषाद, उ0नि0 संतोष कुमार वर्मा मय हमराह हे0का0 सुनील सिंह यादव, कां0 मनोज कुमार यादव, का0 अभिषेक सिंह, कां0 रामप्रवेश यादव, का0 उपेन्द्र सिंह गुर्जर, का0 सुशील पटेल व का0 धुर्वेश कुमार थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ व

स्पेशल टीम- हेड कांस्टेबल महेश सिंह मय हमराह कां0 सुनील यादव, कां0 बृजेश सिंह, का0 आनंद यादव मय वाहन मय कां0 चालक कुंवर मोहन सिंह व सर्विलांश सेल से कां0 सनोज कुमार, कां0 संजय सिंह व कां0 अनुपम पाथरे

थाना–हथिगवां, जनपद–प्रतापगढ

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा हत्या का खुलासा, अपहृत युवक की हत्या कर शव नहर में फेंका गया – 01 अभियुक्त गिरफ्तार, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक पुलिस अभिरक्षा में

घटना का विवरण –
दिनांक 29.06.2025 को ग्राम पुरनेमऊ थाना हथिगवां निवासी मंगरू पटेल पुत्र बुधराम पटेल ने थाना हथिगवां पर तहरीर दी थी कि उसका पुत्र रवि पटेल उर्फ सौरभ (उम्र करीब 15 वर्ष) घर से बिना बताए गायब हो गया है। इस घटना पर थाना हथिगवां पर मु0अ0सं0 127/25 धारा 137 (2)/140 (2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

पुलिस की कार्यवाही –
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय (IPS) के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता व थाना हथिगवां प्रभारी निरीक्षक श्री नन्दलाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 विवेक पाण्डेय बाहमराह कां0 विजय कुमार, का0 अशेष कुमार चालक का विपिन सारस्वत द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर सिंहगढ़ से थाना हथिगवां मे पंजीकृत मु0अ0सं0 127/25 धारा 137 (2)/140 (2) बीएनएस से संबंधित वांछित 01. रिंकु उर्फ बड़कऊ पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम सिंहगढ़ उर्फ सर्वागौहान थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज उम्र 18 वर्ष व विधि का उल्लंघन करने वाला बालक को नियमानुसार अभिरक्षा में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवेचना के क्रम में पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि घटना से संबंधित अभियुक्त ग्राम सिंहगढ़ थाना होलागढ़, जनपद प्रयागराज में मौजूद हैं। इस पर उ0नि0 विवेक पाण्डेय मय हमराह पुलिस बल द्वारा दबिश देकर अभियुक्तगण–01. (विधि का उल्लंघन करने वाला बालक), 02. रिंकू उर्फ बड़कऊ पुत्र रामकुमार गौतम निवासी सिंहगढ़ थाना होलागढ़ प्रयागराज (उम्र 18 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया।

घटना का क्रमवार खुलासा (अभियुक्तों के बयानानुसार):
गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि उनके साथी सचिन गौतम के साथ मिलकर उन्होंने रवि पटेल उर्फ सौरभ की हत्या की योजना बनाई थी। रंजिश के चलते अभियुक्तों ने मोबाइल छीनकर लड़की की आवाज में फोन कर रवि पटेल को 26.06.2025 को जमलामऊ शारदा सहायक नहर पुलिया के पास बुलाया। वहां

अभियुक्तों ने पहले शराब व भोजन किया और फिर छिपाये गए डण्डे से पीछे से वार कर रवि पटेल उर्फ सौरभ की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया तथा मृतक की मोटरसाइकिल व मोबाइल लेकर अभियुक्त अपने घर लौट गए। एक सप्ताह बाद अभियुक्तों ने मृतक के परिजनों से पाँच लाख रुपये की फिरौती भी माँगी और न मानने पर जान से मारने की धमकी दी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–
01. (विधि का उल्लंघन करने वाला बालक)
02. रिंकू उर्फ बड़कऊ पुत्र रामकुमार गौतम निवासी सिंहगढ़ थाना होलागढ़ प्रयागराज (उम्र 18 वर्ष)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –
उ0नि0 विवेक पाण्डेय मय हमराह कां0 विजय कुमार, का0 अशेष कुमार चालक का विपिन सारस्वत थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जघन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों को किसी भी दशा में बख्शा न जाए और अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।

प्रतापगढ़ पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु प्रतिबद्ध है।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़

दहेज हत्या प्रकरण में नामजद 01 अभियुक्ता को कंधई पुलिस ने किया गिरफ्तार – पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में कार्रवाई-

थाना कंधई पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत आसलपुर चौराहे से पहले गुतौली रोड के पास से किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त का विवरण-
वादी की पुत्री के पति वहावुद्दीन पुत्र जान मो0 ग्राम गुतौली थाना कन्धई प्रतापगढ़ द्वारा वादी की पुत्री से मोटरसाइकिल व दहेज की मांग कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। दिनांक 26.05.2025 को प्रार्थी को सूचना मिली कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई है। मौके पर पहुँचने पर मृतका के शरीर पर चोटों के निशान मिले। वादी द्वारा आरोप लगाया गया कि पुत्री के पति के परिजनों ने मिलकर मेरी बेटी की हत्या की है। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 119/25 धारा 85/80 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 बनाम 05 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कंधई श्री गुलाब सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 रज्जन राव मयहमराह म0का0 सुनीता यादव हे0का0 ऋषिकेश तिवारी द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना कंधई पर पंजीकृत मु0अ0स0 119/25 धारा 85 / 80 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 से संबंधित वांछित 01

अभियुक्ता को दिनांक 06.09.2025 को थानाक्षेत्र कंधई के आसलपुर चौराहे से पहले गुतौली रोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. 01 अभियुक्ता।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
उ0नि0 रज्जन राव मयहमराह म0का0 सुनीता यादव हे0का0 ऋषिकेश तिवारी थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।